Permit loading of goods traffic

*317. SHRI SANGH PRIYA GAUTAM
SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Western and Northern Railways had the practice to permit loading of goods traffic strictly as per the marked earring capacity at a station and yet charge the consignee the freight for over-marked capacity by one tonne for four-wheeler wagon and two tonnes for the eight-wheeler capacity;

(b) if so, the reasons thereof and whether the practice has been abandoned, if so since when; and

(c) whether the over charges thus surreptitiously collected by the railways were returned to the concerned parties, if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) to (c) Prior to 1- 5-1991, Metre Gauge wagons were permitted to be loaded and charged upto the marked Carrying Capacity plus one tonne in case of four-wheeled wagons and marked Carrying Capacity plus two tonnes in case of eight-wheeled wagons, subject to axle load restrictions. With effect from 1-5-1991, the Rules were amended so as to remove the condition of axle load restriction for the purpose of loading and charging. Over the Western and Northern Railways there were instances after 1-5-1991 where the booking stations restricted loadings only to the extent the axle loads permitted but freight was charged at the destinations as per the revised rule. This was due to differences in the interpretation of the revised rule. By December 1991, the loading and charging as per the revised rules was fully implemented on these two Railways. Decision on requests for refund will depend on the merits and circumstances of each case.

Activities of the Armed Private Organisation

*318. SHRIMATI KAMLA SINHA:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of ihe activities of the Armed Private Army Savarn Mukti Morena Samaj terrorising dalits. backward classes and other weaker sections in the eastern part of U. P. specially in the areas adjoining Varanasi and Ghazipur districts;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action has been taken by Government to curb the activities of the organisation and to provide protection to the dalits and other backward classes of the area ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): (a) No, Sir,

(b) and (c) Do not arise.

However, it has come to the notice of the Slate Government that a Savarn Jati Mukti Morcha has been organised in Pare Village of Varanasi district to prevent occupation of land and atrocities by naxalites and other criminals. The State Governments have issued instructions to the concerned authorities to keep a close watch over the activities of the Savarn Jati Mukti Morcha.

गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए नगरों के लोगों को नदी प्रदूषण से अवगत कराना

***319. चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित 33 नगरों में रहने वाले लोगों को नदी से होने वाले प्रदूषण की समस्या के बारे में अवगत करा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन 33 नगरों का ब्यौरा क्या है और वे समस्याएं कौन-सी हैं, जिसके बारे में लोगों को अवगत कराया गया है; और

(ग) गंगा कार्य योजना के अधीन आरम्भ किये गये सफाई कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा सफाई का कितना प्रतिशत कार्य पहले ही किया जा चुका है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने, प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपेक्षित उपायों एवं जन-सहयोग के लिए गंगा नदी के किनारे नगरों में कार्यक्रम हाथ में लिए गए थे । नदी में म्यूनिसिपल अपशेष और अनुपचारित बहिःस्राव के निपटान, खुले में शौच किया जाने एवं अधजले शवों के फेंकने, पशुओं को नहलाने आदि से होने वाली समस्याओं से लोगों को अवगत कराया गया था । ऐसे कार्यों में शामिल किए गए नगरों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं (सीधे देखिये) जो सदन के पटल पर रखा गया है । प्रदूषण निवारण के लिए हाथ में लिए गए विभिन्न प्रकार के कार्यों की राज्य-वार संख्या विवरण-II में दी

गई है (नीचे देखिये), जिसे सदन के पटल पर रखा गया है।

(ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के श्रेणी-I के 25 नगरों में कुल 261 स्कीमें हाथ में ली गई थीं जिनमें से अब तक 208 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। हाथ में ली गई स्कीमें साथ ही पूरी की जा चुकी स्कीमें विवरण-II में दी गई हैं, जिसे सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण I

33 नगरों का विवरण

क्रम सं०	गंगा के किनारे स्थित नगर
उत्तर प्रदेश	
1.	ऋषिकेश
2.	हरिद्वार
3.	कानपुर
4.	इलाहाबाद
5.	वाराणसी
बिहार	
6.	पटना
7.	बक्सर
8.	कटिहार
9.	मुंगेर
10.	खगड़िया
11.	बेगूसराय
12.	भागलपुर
13.	समस्तीपुर
14.	साहिबगंज
15.	वैशाली
पश्चिम बंगाल	
16.	खागरा (मुर्शिदाबाद)
17.	जियागंज (मुर्शिदाबाद)
18.	मायापुर (नादिया)
19.	नवद्वीप (नादिया)
20.	फलासे (नादिया)
21.	पंचानंदपुर (मालदा)
22.	बंगीटोला (मालदा)
23.	बर्धवान
24.	चिनसुरा (हुगली)
25.	बान्देल (हुगली)
26.	चन्दननगर (हुगली)
27.	उत्तरपाड़ा (हुगली)
28.	सेरामपुर (हुगली)
29.	हावड़ा
30.	हुक्लापुर नवबगंज (नार्थ 24 परगना)
31.	कलकत्ता (कलकत्तामहानगर निगम क्षेत्र)
32.	बटानगर (साउथ 24 परगना)
33.	डायमंड हार्बर (साउथ 24 परगना)

विवरण II

क. पूरी की गई स्कीमों के प्रकार एवं राज्यवार विवरण

स्कीम का प्रकार	उत्तर प्रदेश	बिहार	पश्चिम बंगाल	योग
1. सीवेज अव-रोधन एवं दिशा परिवर्तन	32 (40)	17 (17)	18 (31)	67 (88)
2. सीवेज उपचार संयंत्र	7 (13)	0 (7)	8 (15)	15 (35)
3. जल-जमाव स्वच्छता	11 (14)	7 (7)	22 (22)	40 (43)
4. विद्युत शवदाह गृह	2 (3)	8 (8)	15 (17)	25 (28)
5. नदी तटाग्र सुविधाएं	7 (8)	3 (3)	24 (24)	34 (35)
6. अन्य स्कीमें	23 (28)	3 (3)	1 (1)	27 (32)
योग :	82 (106)	38 (45)	88 (110)	208 (261)

नोट : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े स्कीमों की कुल संख्या को प्रदर्शित करते हैं।

ख. अवरोध जल के अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन हेतु स्थापित की गई क्षमता

सीवेज के दिशा-परिवर्तन की स्कीमों के पूरा हो जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित किए गए 873 एम० एल० डी० (मिलियन लीटर, प्रतिदिन) दिशा-परिवर्तन की जगह 543 एम० एल० डी० सीवेज का दिशा-परिवर्तन किया गया है।

ग. अवरोध जल के उपचार के लिए स्थापित की गई क्षमता

15 सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के साथ 297.3 एम०

एल० डी० अवशेष जल के उपचार की क्षमता का निर्माण कार्य किया गया है ।

घ. अन्य निर्माण कार्यों के पूरा किए जाने की स्थिति

(i) 370 कि० मी० भीवर लाइन बिछाई गई है ।

(ii) 47.705 पृथक शौचालयों का निर्माण किया गया है ।

(iii) 2757 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है ।

(iv) 29 विद्युत शवदाहगृहों की स्थापना की गई है ।

(v) नदी के किनारे पर 128 घाटों का विकास किया गया ।

Persons Arrested in Connection with Bombay Blast Case

*320. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) the total number of persons arrested so far in connection with the chain of bomb blasts in Bombay on 12th March, 1993;

(b) what is the number of alleged accused who are still absconding;

(c) whether it is a fact that the absconders have been identified;

(d) if so, the details of the action being taken to apprehend them; and

(e) what progress has been made in inquiries by various state and central agencies in this regard ?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : (a) 142

(b) 24

(c) Yes, Sir.

(d) Arrest warrants against all the 24 absconding persons were obtained from the designated Court, constituted under TADA (P) Act, for Greater Bombay. As the warrants could not be executed, the same were returned to the designated Court. The Court has been requested to issue proclamation under Section 82 of the Criminal Procedure Code directing the absconding accused persons to appear before the Court.

(e) The investigations of the bomb blasts cases is being done by the Maharashtra Stale Police. The State Police is likely to complete the investigation by the end of August, 1993 and tile a preliminary charge sheet. The State Police is being assisted by a Task Force comprising of senior offiecrs of the CBI and Centra! Intelligence agencies, in the investigation. After the State Police files the charge sheet, the CBI will take over the cases and conduct further investigation into the national, international and other ramifications of the crime.

देश में साल वृक्षों के संरक्षण तथा विकास की योजना

2734. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में साल वृक्षों के संरक्षण तथा विकास हेतु अनुसंधान के संबंध में केन्द्रीय तथा राज्य प्रशासन के स्तर पर किसी निश्चित योजना के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की जा रही राज्यवार कार्यवाही सहित केन्द्रीय स्तर पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान साल वनों के क्षेत्रफल में राज्यवार लक्षित की गई कमी या वृध्दि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्राकृतिक साल वृक्षों के विकास एवं अनुसंधान के आधार पर प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय के स्वायत्त निकाय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने साल अनुसंधान संस्थान, बिलासपुर, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के वनवृक्ष-विज्ञानी (सिल्वीकल्चरिस्ट) की सहायता से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में साल वृक्षों की मृत्यु दर पर अनुसंधान शुरू किया है ।

(ग) साल वृक्षों की मृत्यु दर में वृध्दि के कारण साल वनों की सघनता में कहीं-कहीं कमी आई है, जबकि साल वृक्षों का क्षेत्र कुल मिलाकर अपरिवर्तनीय रहा है ।

(घ) अनुसंधान निष्कर्षों के आधार पर बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों को सलाह दी गई है कि वे साल वृक्षों के पुनर्जनन की स्थिति में सुधार के लिए साल वृक्षों वाले क्षेत्रों को मवेशियों की चराई के लिए बन्द कर दें ।

Development Project of Maharashtra Awaiting Clearance.

2735. SHRI SATISH PRADHAN : Will the